राजस्व अपील संख्या 80 / 2024 (2024 / 80)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः– 80 / 2024

जी.सी.एम.एस. संख्याः– 2024 / 80

<u>अपीलार्थीपक्षः–</u>

1. जसुदेवी पत्नी चेतनराम जाति मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत जलन्धर नगर तहसील बालेसर जिला जोधपुर।
2. भैरूसिंह पुत्र श्री हीर सिंह
3. भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री आईदान सिंह
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जबर सिंह

जातियान्– राजपूत निवासीगण–ग्राम जलन्धरनगर तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

बनाम

<u>रेस्पोडेन्ट्स</u>

1. सहायक अभियंता खान एवं भू विज्ञान बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर तह. बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 107 ग्राम उम्मेदनगर जो तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 17.10.2019 को स्वीकृत किया गया।

<u>उपस्थितिः–</u>

1. अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी, श्री पुष्पेन्द्र सिंह (अपीलार्थी पक्ष)।
2. रेस्पोडेण्टस सं. 01 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

<u>आदेश</u>

दिनांक :– 23.12.2024

अपीलार्थी ने यह राजस्व अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.)बालेसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 107 ग्राम उम्मेदनगर पटवार हल्का बालेसर सता दिनांक 17.10.2019 को स्वीकृत किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:52 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीपक्ष को नो[illegible] जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 01 को जारी नोटिस विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय [illegible]ये पत्र क्रमांक भू.अ. / 2020 / 383 दिनांक 24.02.2020 मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर अ[illegible]र्थी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिवक्ता की दिनांक 10.12.2024 को बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 23.12.2024 को रखी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत कर जाहीर किया कि तहसीलदार बालेसर द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गै.मु.भाकर की जमीन खसरा नम्बर 868 रकबा 1239.11 बीघा में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सहायक अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान बालेसर के पक्ष में ग्राम उम्मेदनगर पटवार हल्का बालेसर सता रकबा 18.04 बीघा नामान्तरकरण संख्या 107 दिनांक 17.10.2019 को विधि विरूद्ध एवं कानून के विपरीत स्वीकृत किया गया है। उक्त म्यूटेशन की पुश्त पर खसरा संख्या 865/25 की तरमीम ही की हुई नहीं है और म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार बालेसर द्वारा कोई मौके की जांच नहीं की गई। अपीलांट को कोई सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया और न ही कोई सूचना दी गई। खसरा नम्बर 868 की भूमि गैर मूमकिन भाकर में से 18.04 बीघा भूमि खनिज विभाग को आवंटित की, उक्त जगह पर घनी आबादी हुई है एवं प्राकृतिक बहाव नदी नाले आए हुए है उससे आगे तालाब है जिसमें पानी इकट्ठा होता है जिससे गांव की जनता व पशुधन पानी पीते है ऐसी जगह पर खनन क्षेत्र व पत्थर कटिंग युनिटों से निकलने वाली डस्ट (स्लरी) से पानी व हवा प्रदुषित हो जायेगी जिसका असर आम जीवन व पशुओ पर पड़ने से बीमारी होगी। भूमि का आवंटन भी गलत तरीकों से किया गया एवं ग्राम पंचायत के लोगो को आपत्ति थी एवं आम प्रस्ताव पंचायत द्वारा सहमति से लिया गया कि खनिज विभाग कों आंवटित करने से पास में आबादी स्कूल, पानी की टंकी, खेत आदि हैं जिससे कई तरह की बीमारियां होगी एवं दूषित वातावरण, हवा, पानी, रोशनी में बाधा उत्पन्न होगी। इस भूमि के पास ही गायों की गौशाला है जिसमें गायों व पशुधन को कठिनाई होगी तहसीलदार बालेसर द्वारा मौके की स्थिति एवं मौका रिपोर्ट का सही तरीके से परीक्षण नही कर मिली भगत से एकतरफा कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से बाले–बाले खान एवं भू विज्ञान विभाग के नाम उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का पेश कर जाहीर किया कि तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण ग्राम उम्मेदनगर में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे परन्तु उक्त नामान्तरकरण में वर्णित भूमि सार्वजनिक ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि है। प्रार्थीया ग्राम पंचायत जनकल्याण की संरक्षक है तथा हितबद्ध पक्षकार है जिन्हे अपील पेश करने का हक व अधिकार है ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:52 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अपीलार्थी के विद्वान् अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर गहन मनन कर उनका भली भांतिं अध्ययन किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

1. पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम उम्मेदनगर, पटवार मंडल बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर की भूमि खसरा संख्या 868 रकबा 1239–11 बीघा किस्म गे.मु. भाखर में से 18–04 बीघा भूमि के आवंटन के कारण भरे गए नामान्तरकरण संख्या 107 दिनांक 17.10.2019 के अंतिम कॉलम अंकित संदर्भ अनुसार यह नामान्तरकरण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के आदेश क्रमांक प–12 (3) राज / आवंटन / 2019 /5114–5120 दिनांक 16.8.2019 की पालना में खोला गया है। उक्त 18–04 बीघा भूमि राजस्थान सरकार के खान व भू विज्ञान विभाग, बालेसर को आंवटित की गई है तथा खसरा नम्बर 868 की 1239–11 भूमि गे.मु. भाखर राजकीय सिवाय चक भूमि है, जिसका एक मात्र मालिक भूमिधारी राजस्थान सरकार है।

2. जिला कलक्टर के उक्त आदेश दिनांक 16.08.2019 से सरकार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति/संस्था का हित प्रभावित होने का कोई अभिलेखीय सबूत अपीलाण्ट ने अपील पेश करने की अनुमति चाहने वाले प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. में पेश नहीं किया है। अभिलेख में आंवटित भूमि गे.मु. भाखर है जो खनन हेतु उपयुक्त होने पर खान विभाग को आवंटित की गई है। अपीलाण्ट का आंवटित भूमि में सार्वजनिक हित किस प्रकार है, इसका प्रार्थना पत्र में विशेष रूप से वर्णित नहीं किया हैं यह भूमि न तो गोचर है तथा न ही आबादी। यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत नामान्तरकरण पर पारित आदेश की अपील करने हेतु अनुमति बाबत पेश किया है।

3. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक Fiscal proceeding मात्र है, जिसके द्वारा सक्षम आदेश/निर्णय/डिक्री में पारित आदेश/आवंटन, हस्तान्तरण, उत्तराधिकार इत्यादि का अंकन मात्र अभिलेखों को आदिनांक एवं अद्यतन रखाने हेतु किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी का भी कोई हित्त, अधिकार, स्वत्व, आधिपत्य का सृजन या ह्रास, श्मन नहीं होता है। जब तक कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित आवंटन दिनांक 16.08.2019 प्रवर्तनशील है, तब तक अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पारित आदेश वैद्य है। अगर कलक्टर का आदेश प्रत्याहृत या अपास्त किया जाता है, तो नामान्तरकरण से पुनः पूर्व की स्थिति बहाल हो जायेगी। अतः मात्र नामान्तरकरण पर पारित आदेशों को अपास्त करने मात्र से अपीलाण्ट्स को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता।

4. अपीलाण्ट्स ने खसरा नम्बर 868 की भूमि ग्राम पंचायत के अधीन होने का कथन किया है, जो मानने योग्य नहीं है। अपने ... ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया। नकल जमाबंदी व नामान्तरकरण अनुसार ... भूमि राजकीय सिवायचक गे.मु. भाखर की भूमि है। ग्राम पंचायत ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 13:08:52 IST
Reason: SelfAttested

5. जहां तक आवंटित भूमि पर से प्राकृतिक नदी के बहाव, पानी के कुंड, तालाब होने, प्रदूषण फैलने इत्यादि का कथन है, इन तथ्यों से नामान्तरकरण की प्रक्रिया से कोई

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

संबंध नहीं है उक्त अधिकारों की संरक्षण का उपचार धारा 75 के तहत अपील में नहीं होकर अन्यत्र उपलब्ध है तथा नामान्तरकरण की प्रक्रिया में उक्त स्थितियों की जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन आक्षेपित सुविधाओं बाबत आपत्तियां सक्षम स्तर पर की जा सकती है। अतः अपीलाण्ट का इस प्रकरण में नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है। अपीलाण्ट को आपत्ति खनन हेतु भूमि आवंटन से होना प्रतीत होता है, जिस बाबत वे सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण में चाराजोरी करने को स्वतंत्र है, परन्तु नामान्तरकरण की कार्यवाही को आक्षेपित करने से उनकी मूल समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता।

6. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट का अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्रहण करने योग्य नहीं है तथा मेन्टेनेबल भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार किया जाता है।

7- इसके अतिरिक्त मेरिट पर भी यह अपील उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार करने योग्य नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में सुखाधिकार से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित आक्षेपों का निपटारा नहीं किया जा सकता। इस तरह के आक्षेपों का निपटारा सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत साक्ष्य लेकर विधि प्रक्रिया अपनाते हुए न्याय निर्णयन द्वारा ही किया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही मात्र एक Fiscal proceeding है, जिसमें सरसरी जांच (Summary enquiry) करके आदेशों की पालना में रिकार्ड में इन्द्राज मात्र किए जाते है, इसके किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार यह अपील मेरिट पर भी सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है, फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार बालेसर से प्राप्त मूल रिकार्ड को पुनः लौटाया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को सुना जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:52 IST
Reason: SelfAttested

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर